छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 784/2008

1. श्री कमल नारायण राजपूत, – अपीलार्थी
ग्राम–परपोड़ा, पोस्ट–मोहभट्टा,
तहसील–बेरला, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, – प्रति अपीलार्थी
कार्यालय तहसीलदार–बेरला,
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 02 जुलाई, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री कमल नारायण राजपूत द्वारा एक पट्टे के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए नायब तहसीलदार, बेरला के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, किन्तु उक्त आवेदन पर त्रुटिपूर्ण जानकारी मिलने के कारण उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, साजा के समक्ष दिनांक 10.03.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु वहॉ भी उक्त अपील की सुनवाई नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 21.04.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया। प्रकरण में तहसीलदार–बेरला द्वारा यह जानकारी दी गई कि जिस व्यक्ति बलदाऊ पिता उमराव का बेजा कब्जा अपीलार्थी द्वारा बताया जा रहा है, उसे एक भूमि का पट्टा प्रदाय किया गया था और वह शासकीय पट्टे के रूप में दर्ज है तथा पट्टा उपलब्ध नहीं होना बता रहे हैं और वर्ष 1983 के अभिलेख अनुसार यह पट्टा दिया जाना उल्लेखित है तथा उक्त भूमि पर धान की फसल बोई जा रही है और वर्ष 2005 में बेजा कब्जा हटाने के अभियान में पंचायत द्वारा समिति गठित कर पट्टाधारियों का कब्जा हटाया गया था और बेदखल के बाद पुनः कब्जा किया जाता है और आवेदक भी बेजा कब्जेदार है। प्रकरण में तहसीलदार, बेरला ने उपस्थित होकर यह बताया कि संबंधित रिकार्ड बेमेतरा में है, इसलिए तहसीलदार–बेमेतरा को बुलाया गया, किन्तु तहसीलदार, बेमेतरा द्वारा बताया गया कि उनके यहॉ बेरला का कोई रिकार्ड नहीं है और उनके द्वारा सभी से पूछताछ कर ली है और उनके द्वारा उत्तर भी भेजा गया है। अतः विलंब के लिए तहसीलदार, बेरला को पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 24.04.2009 को प्रस्तुत किया। उत्तर में उन्होंने यह बताया कि भूमि आवंटन का मूल प्रकरण कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से संबंधित पट्टाधारियों से पट्टें की छायाप्रति प्राप्त कर उपलब्ध करायी गई है, किन्तु उसे सत्यापित नहीं किया गया, क्योंकि मूल प्रकरण उपलब्ध नहीं है तथा बेरला नई तहसील है और नई तहसील में कब प्रकरण भेजा गया है इसकी कोई जानकारी नहीं है। तहसीलदार, बेमेतरा द्वारा यह भी बताया गया कि जब वर्ष 1981 में नई तहसील बनी थी तो अधिकारी समस्त रिकार्ड के साथ नई तहसील में चले गये थे इसलिए रिकार्ड की कोई हस्तांतरण सूची भी नहीं बनाई जाती थी तथा उक्त पट्टे का आवंटन दिनांक 13.03.1973 को होना बताया गया और यह रिकार्ड अब दोनों तहसील में पूरा ढूंढ़वा लिया गया है, किन्तु न तो प्रकरण मिल रहा है और न ही दायरा पंजी मिल रही है। तहसीलदार, बेरला ने इस संबंध में कलेक्टर, दुर्ग को पत्र लिखकर पूछा था कि यदि यह रिकार्ड या इसकी दायरा पंजी कलेक्ट्रेट के रिकार्ड रूम में (हिन्दी अभिलेख प्रकोष्ठ) में जमा हुई हो तो ढूंढ़कर बतायी जावे, किन्तु रिकार्ड रूम प्रभारी ने ''जमा तारीख बताये'' ऐसे लिखकर पत्र वापस लौटा लिया। तहसीलदार, बेरला ने इन दोनों प्रकरणों का क्रमांक भी कलेक्टर को लिखे पत्र में बताया था, जो निम्नानुसार है :–

1. बलदाऊ पिता उमराव निवासी ग्राम–परपोडा, राजस्व प्रकरण क्रमांक 140/अ–68, वर्ष 1972–73.
2. जीवनलाल पिता उमराव निवासी ग्राम–परपोडा, राजस्व प्रकरण क्रमांक 139/अ–68, वर्ष 1972–73.

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

इन दोनों प्रकरणों में आदेश का दिनांक 13.03.1973, न्यायालय नायब तहसीलदार बताया गया है। चूंकि प्रकरण इतना पूरा है और उस समय के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी भी सेवानिवृत्त हो गये होंगे अथवा उनका स्वर्गवास भी हो गया होगा, अतः उनसे पूछताछ करने एवं जिम्मेदारी निर्धारित करना संभव प्रतीत नहीं होता। प्रकरण में इस संबंध में तहसीलदार, बेरला को भी दोषी बताया जाना उचित नहीं होगा, अतः उनके विरूद्ध जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है। प्रकरण में कलेक्टर, दुर्ग को अब यह निर्देश दिये जाते हैं कि कलेक्ट्रेट रिकार्ड रूम (हिन्दी अभिलेख प्रकोष्ठ) में इन दोनों प्रकरणों को अच्छी तरह से ढूंढ़वाया जावे, यदि इसका मूल रिकार्ड वहॉ उपलब्ध हो जाता है तो उसकी सत्यप्रति अपीलार्थी को एक माह के अन्दर निःशुल्क प्रदान की जावे। साथ ही इस संबंध में पूरे प्रकरण का अध्ययन कर नियमानुसार आगे जो भी कार्यवाही संभव हो, वह भी कलेक्टर द्वारा की जावे। प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत तहसील, बेरला की ओर से अपीलार्थी को चार सौ रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ यह अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com